वर्तमान में प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड योजना प्रचलित नहीं है। प्रदेश में मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है। उक्त के अंतर्गत वर्तमान में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है, जिसका व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-3121/29-6-20214-104सा/09-टी0सी010-। दिनांक 29-12-2014 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार भिक्षावृत करने वाले परिवार को प्राथमिकता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है, बशर्ते वे निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हों। यदि भिक्षाटन करके जीवनयापन करने वाला परिवार उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होता है तो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड निर्गत कर नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।